

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठारीन अधिकाारी-श्री वीरगा राग, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/1616

प्रार्थनी

बनाम

दिनांक - 22.04.25
अप्रार्थीगण

1 रेवन्तीदेवी पत्नि
चूनाराम जाति सुथार
निवासी करडानाडा,
बेरीवाला तला तहसील
बाड़मेर ग्रामीण जिला
बाड़मेर।


1 जोगाराम पुत्र देदाराम
वगैराह जाति नाई निवासी
करडानाडा, बेरीवालातला
तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला
बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, नेखमबन्दी करने बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 836/2024

दिनांक- 01/04/25

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा करडानाडा पटवार क्षेत्र बेरीवाला तला तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 1587/1296 रकबा 5.5037 हेक्टर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थनी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।


(वीरमा राम)


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2025/1617 - 1620

दिनांक- 22.04.25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बेरीवाला तला तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थनी रेवन्तीदेवी पत्नि चूनाराम जाति सुथार निवासी करडानाडा, बेरीवाला तला तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण जोगाराम पुत्र देदाराम वगैराह जाति नाई निवासी करडानाडा, बेरीवालातला तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।



उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर